

भारत-संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

क्रमांक-डब्ल्यूएल. एमआरबिल/सामान्य पत्राचार/2010-11/
भोपाल दिनांक 20/05/2010

प्रति

सभी दूरसंचार इकाई प्रमुख
बीएसएनएल, मध्यप्रदेश परिमंडल।

विषय: परिमंडल कार्यालय स्तर पर निरस्त चिकित्सा बिलों पर पुनर्विचार बाबत।

31 मार्च 2010 को सम्पन्न परिमंडल कौंसिल (Circle Council) की मीटिंग में बीएसएनएलईयू के परिमंडल सचिव की ओर से उठाए गए मुद्दे पर लिये गये निर्णय के परिपालन में लिखा जाता है कि परिमंडल कार्यालय स्तर पर निरस्त किए गए चिकित्सा प्रकरणों को संबंधित एसएसए प्रमुख की अनुशंसा एवं बीएसएनएल एमआरएस पालिसी के अनुसार आवश्यक प्रपत्रों के साथ कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन देने पर परिमंडल स्तर पर पुनः जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस तरह के निरस्त चिकित्सा बिलों को सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित संबंधित कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के साथ एवं एसएसए प्रमुख की अनुशंसा के साथ परिमंडल कार्यालय को 31 मई 2010 तक भेजने की व्यवस्था करें।

M. M. M.
20/5/10
(आलोक श्रीवास्तव)

सहायक महाप्रबंधक (कल्याण)
कार्यालय - मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,
मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

प्रतिलिपि : श्री एस आर नायक, परिमंडल सचिव, बीएसएनएलईयू की ओर उनके दिनांक 2/5/2010 के पत्र के संबंध में सूचनार्थ कृ०।

O/S, B. part on 5/5/10

S.R. Nayak
(S.R. Nayak)
CS